न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल, जिला बारां (राज०)

बइजलास अंजना सहरावत (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या :– 62/24 /दावा/बउनवान/सत्यनारायण बनाम धनराज

जीसीएमएस संख्या 2024/77

1. रामदयाल पुत्र स्व0 पूरणमल जाति चमार निवासी ईश्वरपुरा तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)

..........वादी

बनाम

1. पप्पूलाल पुत्र स्व. रामप्रसाद
2. सुरेन्द्र पुत्र स्व. रामप्रसाद
3. प्रेमबाई पत्नी स्व. रामप्रसाद
4. पूजा पुत्री स्व. रामप्रसाद
5. लक्ष्मीबाई पुत्री स्व. रामप्रसाद
6. संजयाबाई पत्नी स्व. राकेश
7. चिरंजीलाल पुत्र स्व. पेमा
8. दुलीचन्द पुत्र स्व. पेमा
9. बाबू पुत्र स्व. पेमा
10. हरिचरण पुत्र पेमा

(1 से 10) जाति समस्त चमार निवासीगण समस्त ग्राम ईश्वरपुरा तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)

11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब मांगरोल जिला बारां (राज0)

प्रतिवादीगण

<u>वाद अन्तर्गत धारा 48, 49, 88, 89, 90, 91 व 53, आर टी.एक्ट</u>

वकील वादीः– श्री मनोज कुमार गालव

दायरा दिनांकः 04.11.2024 निर्णय दिनांकः10.03.2025

निर्णय

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :–

1. यह कि वादी रामदयाल पुत्र पूरणमल ग्राम ईश्वरपुरा का स्थायी निवासी है एवं प्रतिवादीगण भी ग्राम ईश्वरपुरा के ही स्थायी निवासी हैं और आपस में रिश्तेदार हैं, एक ही परिवार वंश के सदस्य हैं, वादी व प्रतिवादीगण 1 ता 10 के खाते की आराजियात पृथक–पृथक खाते के खेत वाके ग्राम ईश्वरपुरा में खसरा नम्बर 306 व खसरा नम्बर 307 एक दूसरे की मेड के सहारे स्थित है जिस पर वादी व प्रतिवादीगण 1 ता 10 अपने पूर्वजों के समय से ही लगातार 2 पीढीयों से मौके पर लगभग 70–80 सालों से निर्विवाद मौजूदा स्थिति अनुसार ही खेती करते चले आ रहे हैं वादपत्र के साथ मौका स्थिति का एक नजरी नक्शा परिशिष्ट 'अ' प्रस्तुत किया जा रहा है जो कि वाद–पत्र का ही एक अभिन्न अंग है।
2. यह कि वादी रामदयाल के खाते की आराजी वाके ग्राम ईश्वरपुरा तहसील मांगरोल जिला बारां में हाल खाता संख्या 115 खसरा नम्बर 307 रकबा 1.98 हैक्टर किता 1 रकबा 1.98 है0, शामलाती हिस्सा 1/2 में राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो रही है और मौके पर वादी बाहमी बंटवारा अनुसार सम्पूर्ण खसरे 307 के दक्षिणी हिस्से में काबिज काश्त होकर लगातार 40–45 वर्षों से करीब 0.50 हैक्टर (3 बीघा 2 बि.) भूमि पर वादी एक मात्र काश्त करता चला आ रहा है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल

अंजना सहरावत उपखण्ड अधिकारी मांगरोल

3. यह कि प्रतिवादीगण 7 ता 10 के खाते की आराजी हाल खाता संख्या 89 वाके ग्राम ईश्वरपुरा खसरा नम्बर 306 रकबा 2.02 हैक्टर किता 1 रकबा 2.02 हैक्टर राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो रही है किन्तु मौके पर वादी बाहमी बंटवारा अनुसार सम्पूर्ण खसरे 306 के दक्षिणी हिस्से में काबिज काश्त होकर लगातार 40–45 वर्षो से करीब 0.48 हैक्टर (3 बीघा) भूमि पर वादी एक मात्र काश्त करता चला आ रहा है।

4. यह कि इसी प्रकार प्रतिवादी क्रम 7 ता 10 चिरंजीलाल, दुलीचन्द, बाबू, हरिचरण वादी के खाते के खसरा नबर 307 के उत्तरी हिस्से पर बाहमी बंटवारे अनुसार काबिज है और लगातार करीब 50–60 वर्षो से 2 पीढी से वादी व प्रतिवादी क्रम 7 ता 10 दोनों पक्ष ही दोनों खसरा नम्बर 306 व खसरा नम्बर 307 वाके ईश्वरपुरा पर वाद–पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा अनुसार वादी दक्षिणी हिस्सों पर एवं प्रतिवादी क्रम 7 ता 10 उत्तरी हिस्सों पर अपने पूर्वजों के समय से ही काबिज काश्त होकर काश्त करते चले आ रहे हैं और वादी व प्रतिवादीगण को जानकारी भी नहीं थी की वादी व प्रतिवादीगण के पृथक–पृथक खातों का नक्शा उनके पूर्वजों के समय से ही राजस्व कर्मचारियों ने मौके अनुसार नहीं काटा जाकर सहवन से त्रुटिपूर्ण तरीके से काट रखा है और दोनों पक्ष ही एक दूसरे की भूमियों पर काबिज काश्त है, सरकारी ERCP प्रोजेक्ट के सर्वेक्षण के दौरान हलका पटवारियों द्वारा भूमि का नाप करने पर वादी की जानकारी में उक्त तथ्य आया है। वादी गरीब अनपढ व्यक्ति है और काश्ततकारी कानूनों की जानकारी नहीं रखता है
।

5. यह कि वादी की जानकारी में उक्त तथ्य अगस्त 2024 में आने पर वादी ने प्रतिवादी क्रम 7 ता 10 को भी कई मर्तबा कह दिया है कि हमारी जमीनों के नक्शे गलत दर्ज हो रहे हैं और खाते अलग–अलग होने से इनको विनिमय (EXCHANGE) कर लो किन्तु प्रतिवादीगण 1 ता 7 टालमटोल ही करते रहे हैं ओर वादी के सामने गम्भीर समस्या उत्पन्न हो सकती है वादी के कब्जे काश्त की जमीन को सरकार कभी भी अधिग्रहित कर सकती है और शामलाती खाता होने से वादी को आर्थिक रुप से भी अपूरणीय क्षति होगी और जमीन भी प्रतिवादीगण के पास ही रहेगी क्योंकि प्रतिवादीगण खसरा नम्बर 306 एवं खसरा नम्बर 307 के उत्तरी हिस्सों पर काबिज है।

6. यह कि वादी से पूर्व वादी के पिता व दादा भी वाके ईश्वरपुरा वादग्रस्त आराजी खाता संख्या 115 खसरा नम्बर 307 व खाता संख्या 89 खसरा नम्बर 306 पर इसी प्रकार से दोनों नम्बरान के दक्षिणी हिस्सों पर काबिज थे और प्रतिवादीगण 7 ता 10 के पूर्वज भी दोनों खसरों 306 व 307 के उत्तरी हिस्सों पर ही काबिज रहे हैं और मौका स्थिति पर वादी व प्रतिवादीगण 7 ता 10 की मेड बन्दी भी एक दूसरे उत्तर दक्षिण ही स्थित है एवं नजरी नक्शा अनुसार दोनों खसरा नम्बर के उत्तर में प्रतिवादी क्रम 7 ता 10, मध्य में प्रतिवादी क्रम–1 ता 6 एवं दक्षिण में वादी काबिज काश्त है वादी का ऑपन एवं हॉस्टाईल 40 से भी अधिक वर्षो का स्वयं का कब्जा है जिसे आज तक भी किसी ने चूनौती नहीं दी है।

7. यह कि वादी के लिये यह आवश्यक हो गया है कि वह अपने काबिज काश्त बाहमी बँटवारा अनुसार ही वाके ग्राम ईश्वरपुरा के दोनों खातों खाता संख्या 115 खसरा नम्बर 307 के अपने दक्षिणी हिस्से एंव खाता संख्या 89 खसरा नम्बर 306 के दक्षिणी 3 बीघा अपने कब्जे काश्त के हिस्से की घोषणा करावे एव पृथक से ही वादी के खाते दर्ज करावे एवं दोनों ही खातों में वादी को कब्जे काश्त अनुसार दक्षिणी हिस्से का खातेदार घोषित कराकर पृथक से ही खाते दर्ज करावे।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल

अंजना सहरावत
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

8. यह कि प्रतिवादी क्रम–11 राज० सरकार जरिये तहसीलदार साहब मांगरोल को सर्वोच्च भू–स्वामी आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाया गया है किन्तु इनके विरुद्ध कोई रिलिफ किसी प्रकार की नहीं चाही गयी है।
9. यह कि वाद कारण अगस्त 2024 में सरकारी ERCP प्रोजक्ट महलपुर आने पर हलका पटवारी द्वारा जमीनें नापने पर जानकारी होने से एवं कानूनी सहायता हेतु पैसे का इंतजाम कर दिनांक 02.09.2024 को श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय को धारा 80 सी.पी. सी. का नोटिस प्रेषित करने पर उत्पन्न हुआ है एंव वाद अर्जेण्ट नेचर का होने से धारा 80 (2) सी.पी.सी के प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत किया जा है।
10. यह कि इस सम्माननीय न्यायालय को याद का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है।
11. यह कि वाद के मूल्याकन व श्रवणाधिकार प्रयोजनार्थ वाद का मुल्याकन लगान के 50 गुना पर किया जाकर वाद उचित न्याय शुल्क पर अवधि मध्य प्ररतुत है।

अतः प्रार्थना हैं कि वादी के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न आशय की डिक्री सादिर फरमावे :–

(अ) यह कि वाद–पत्र में दर्ज आराजी वाके ग्राम ईश्वरपुरा खाता संख्या 115 खसरा नम्बर 307 रकबा 1.98 हैक्टर में हिस्सा 1/4 दक्षिणी एव खाता संख्या 89 खसरा नम्बर 306 रकबा 2.02 हैक्टर में हिस्सा 0.48 हैक्टर दक्षिणी दोनों खातों में वादी को मौके पर कब्जा काश्त बाहमी बंटवारा अनुसार दक्षिणी हिस्सा 1/4 का पृथक–पृथक से खातेदार घोषित करें एवं पृथक से ही वादी के खाते दर्ज करें ।

(ब) अन्य कोई न्यायोचित सहायता हो तो वह भी वादी को प्रदान की जावे।

अधिवक्ता वादी ने एक प्रार्थना पत्र प्रकरण को 48, 49 आरटी एक्ट में कन्सीडर करने का तथा वादी एवं प्रतिवादीगण 01 एवं 10 द्वारा राजीनामा जरिये अधिवक्ता प्रस्तुत किया जिसका विवरण इस प्रकार है :–

1. यह कि उपरोक्त उनवान के वाद में हम सभी वादी व प्रतिवादीगण आपसी सहमति से अपने कब्जे काश्त अनुसार राजीनामा प्रस्तुत कर रहे है, हम वादी प्रतिवादीगण के खातों की शामलाती आराजी वाके ग्राम ईश्वरपुरा में खाते की आराजियात पृथक–पृथक खाते के खेत वाके ग्राम ईश्वरपुरा में खाता संख्या 89 खसरा नम्बर 306 व खाता संख्या 115, खसरा नम्बर 307 एक दूसरे की मेड के सहारे स्थित है जिस पर वादी व प्रतिवादीगण 1 ता 10 अपने पूर्वजों के समय से ही लगातार 2 पीढियों से मौके पर निर्विवाद मौजूदा स्थिति पूरब से पश्चिम दोनों ही खातों में दोनों पक्ष काबिज काश्त है किन्तु वादी व प्रतिवादी का नक्शा व खाते अलग अलग हैं। वादी व प्रतिवादी मौके अनुसार ही खेती करते चले आ रहे हैं, एवं मौके अनुसार ही खाते का विभाजन चाहते हैं। राजीनामा के साथ मौका स्थिति का एक नजरी नक्शा प्रस्तुत किया जा रहा है।
2. यह कि राजीनामा अनुसार वादी रामदयाल के हिस्से
   खाता संख्या 115 खसरा नम्बर 307 में से 0.51 हैक्टर दक्षिणी
   खाता संख्या 89 खसरा नम्बर 306 में से 0.48 हैक्टर दक्षिणी दर्ज करें।
   <u>प्रतिवादीगण 1 ता 6 पप्पूलाल, सुरेन्द्र, प्रेमबाई, पूजा, लक्ष्मीबाई, संजयाबाई के हिस्से</u>
   खाता संख्या 115 खसरा नम्बर 307 में से 0.51 हैक्टर मध्य
   खाता संख्या 89 खसरा नम्बर 306 में से 0.48 हैक्टर मध्य दर्ज करें।
   <u>प्रतिवादीगण 7 ता 10 बाबूलाल, दूलीचन्द, हरिचरण, चिरोंजीलाल के हिस्से</u>
   खाता संख्या 115 खसरा नम्बर 307 में से 0.96 हैक्टर उत्तरी
   खाता संख्या 89 खसरा नम्बर 306 में से 1.06 हेक्टर उत्तरी दर्ज करे।
3. यह कि हम सभी वादी प्रतिवादी राजीनामा अनुसार ही काबिज काश्त होने से दोनों ही ग्राम ईश्वरपुरा के खाता सख्या 115, खसरा नम्बर 306 कुल रकबा 1.98 हैक्टर एवं

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल

अंजना सहरावत
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

खाता संख्या 89, खसरा नम्बर 307 कुल रकबा 2.02 हेक्टर में राजीनामा अनुसार खातों में पृथक–पृथक हिस्से अनुसार दर्ज किया जावे एव पृथक से ही नक्शा कायम करने की कृपा करें।

नजरी नक्शा परिशिष्ट 'अ'

उत्तर

पश्चिम | पूरब

खाता संख्या 115 खसरा नम्बर 307	खाता संख्या 89 खसरा नम्बर 306
कब्जा काश्त हिस्सा बाबूलाल, दूलीचन्द, हरिचरण, चिरोंजीलाल प्रति 7 ता 10	
0.96 है0, उत्तरी	1.06 है0, उत्तरी
कब्जा काश्त हिस्सा प्रतिवादी 1 ता 6 पप्पूलाल, सुरेन्द्र प्रमेबाई, पूजा, लक्ष्मीबाई,संजयबाई	
0.51 है0, मध्य	0.48 है0, मध्य
कब्जा काश्त हिस्सा रामदयाल वादी	
0.51 है0, दक्षिणी	0.48 है0, दक्षिणी

दक्षिण

अत : प्रार्थना है कि राजीनामा अनुसार वाके ग्राम दोनों ही ग्राम ईश्वरपुरा के खाता संख्या 115, खसरा नं0. 306 कुल रकबा 1.98 है0, एवं खाता संख्या 89, खसरा नं0. 307 कुल रकबा 2.02 है0, में राजीनामा अनुसार दोनों खातो में पृथक–पृथक हिस्से अनुसार वादी प्रतिवादी का नाम दर्ज किया जाकर प्रकरण का निस्तारण करने की कृपा करें।

वादी एवं प्रतिवादीगण असालतन मय अधिवक्ता उपस्थित। वादी रामदयाल एवं प्रतिवादीगण क्रम 01 एवं 10 ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर लिखित में राजीनामा पेश किया। राजीनामा सभी पक्षकारान् को पढकर सुनाया गया। सहमति के अनुसार सभी पक्षकारान् द्वारा हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी किये। वादी रामदयाल एवं प्रतिवादीगण की पहचान वादी के अधिवक्ता श्री मनोज कुमार गालव द्वारा की गई एवं उनकी शिनाख्त की गई। उक्तानुसार राजीनामा स्वीकार कर तस्दीक किया गया जो शामिल फाईल किया गया। प्रकरण में सभी पक्षकारान अनुसूचित जाति के है तथा आपस में जिन भूमियों का अदल–बदल किया जाना है वह भी एक ही किस्म की, एक समान मलियत की एवं लगभग एक समान मात्रा में है। अतः वादी एवं प्रतिवादी द्वरा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 48, 49 आरटी एक्ट स्वीकार किया जाना न्यायोचित होने से स्वीकार किया गया। नियमानुसार 1 % रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा कर निर्णय की पालना कराया जाना सुनिश्चित करें।

:: क्रियात्मक आदेश ::

संपूर्ण पत्रावली मय संलग्न दस्तावेजात एवं राजस्व रिकार्ड के अवलोकन एवं सभी पक्षकारान् के राजीनामा एवं सहमति के आधार पर ग्राम ईश्वरपुरा के खाता संख्या 115 खसरा नं0. 307 कुल रकबा 1.98 है0 में से 0.51 है0 दक्षिणी हिस्सा वादी, 0.51 है0 मध्य हिस्सा प्रतिवादी कम 1 ता 6 एवं 0.96 है0 उत्तरी हिस्सा प्रतिवादी कम 7 ता 10 के एवं इसी प्रकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल

अंजना सहरावत
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

ग्राम ईश्वरपुरा के खाता संख्या 89 खसरा नं0. 306 कुल रकबा 2.02 है0 में से 0.48 है0 दक्षिणी हिस्सा वादी, 0.48 है0 मध्य हिस्सा प्रतिवादी क्रम 1 ता 6 एवं 1.06 है0 उत्तरी हिस्सा प्रतिवादी क्रम 7 ता 10 के खाते पृथक–पृथक राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने हेतु तहसीलदार, मांगरोल को आदेश दिये जाते हैं। उक्त आशय की डिक्री जारी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 10.03.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

अंजना सहरावत (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
अंजना सहरावत
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

अन्तिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

(Civil procedure Code Appendix "D"- 1)

आज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट मांगरोल मुकाम मांगरोल

न्यायालय बइजलास अजंना सहरावत R.A.S उपखण्ड अधिकारी मांगरोल जिला बारां (राज.)

प्रकरण संख्या :– 62 / 24 / दावा / बउनवान / सत्यनारायण बनाम धनराज

जीसीएमएस संख्या 2024 / 77

निर्णय दिनांक :– 10.03.2025

बउनवानः–

रामदयाल पुत्र स्व0 पूरणमल जाति चमार निवासी ईश्वरपुरा तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)

............वादी

बनाम

1. पप्पूलाल पुत्र स्व. रामप्रसाद
2. सुरेन्द्र पुत्र स्व. रामप्रसाद
3. प्रेमबाई पत्नी स्व. रामप्रसाद
4. पूजा पुत्री स्व. रामप्रसाद
5. लक्ष्मीबाई पुत्री स्व. रामप्रसाद
6. संजयाबाई पत्नी स्व. राकेश
7. चिरंजीलाल पुत्र स्व. पेमा
8. दुलीचन्द पुत्र स्व. पेमा
9. बाबू पुत्र स्व. पेमा
10. हरिचरण पुत्र पेमा

(1–10) जाति समस्त चमार निवासीगण समस्त ग्राम ईश्वरपुरा तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)

11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब मांगरोल जिला बारां (राज0)

प्रतिवादीगण

<u>वाद अन्तर्गत धारा 48, 49, 88, 89, 90, 91 व 53, आर टी.एक्ट</u>

वकील वादीः– श्री मनोज कुमार गालव

वादी के अधिवक्ता की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 10.03.2025 को अंजना सहरावत पीठासीन अधिकारी के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि पर ग्राम ईश्वरपुरा के खाता संख्या 115 खसरा नं0. 307 कुल रकबा 1.98 है0 में से 0.51 है0 दक्षिणी हिस्सा वादी, 0.51 है0 मध्य हिस्सा प्रतिवादी कम 1 ता 6 एवं 0.96 है0 उत्तरी हिस्सा प्रतिवादी कम 7 ता 10 के एवं इसी प्रकार ग्राम ईश्वरपुरा के खाता संख्या 89 खसरा नं0. 306 कुल रकबा 2.02 है0 में से 0.48 है0 दक्षिणी हिस्सा वादी, 0.48 है0 मध्य हिस्सा प्रतिवादी कम 1 ता 6 एवं 1.06 है0 उत्तरी हिस्सा प्रतिवादी कम 7 ता 10 के खाते पृथक–पृथक राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने हेतु तहसीलदार, मांगरोल को आदेश दिये जाते हैं। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें। यह आदेश आज दिनांक 10.03.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिये गये।

अंजना सहरावत(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

अंजना सहरावत
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

मुद्दई		रुपया	पै.	मुद्दायलाह		रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा	....			स्टाम्पअर्जीदावा	....		
स्टाम्प वकालतनामा	....			स्टाम्प वकालतनामा	....		
स्टाम्प वजह सबूत	....			स्टाम्प वजह सबूत	....		
महनताना वकील	....			महनताना वकील	....		
खर्चा गवाहान	....			खर्चा गवाहान	....		
फीस कमिश्नर	....			फीस कमिश्नर	....		
बवत इजराय हुकमनामा	....			बवत इजराय हुकमनामा	....		
मुतफर्रिक	....			मुतफर्रिक	....		
मीजान	....			मीजान	....		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

अंजना सहरावत(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
अंजना सहरावत
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल